

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- जीयनपुर

गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 14.11.2020 को वादी SHO नन्द कुमार तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिए गए तहरीर व अनुमोदित शुदा गैंग चार्ट के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 381/2020 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था।

वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में व0उ0नि0 संजय सिंह मय हमराह का0 सुनील यादव व का0 रणवीर यादव के द्वारा मु0अ0सं0 381/2020 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अतुल यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी भोपतपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक 17.11.2020 समय 10.15 बजे चुनहवा चौराहे से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 381/2020 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

अतुल यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी भोपतपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 संजय सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 सुनील यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 रणवीर यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

थाना- जीयनपुर

गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 14.11.2020 को वादी SHO नन्द कुमार तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिए गए तहरीर व अनुमोदित शुदा गैंग चार्ट के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 381/2020 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था।

वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में व0उ0नि0 संजय सिंह मय हमराह का0 रमेश यादव के द्वारा मु0अ0सं0 381/2020 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राहुल यादव पुत्र शंकर यादव निवासी जामेतुल बनात थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक 17.11.2020 समय 08.30 बजे मुबारकपुर तिराहा से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 381/2020 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

राहुल यादव पुत्र शंकर यादव निवासी जामेतुल बनात कस्बा व थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 संजय सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 रमेश यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

थाना- जीयनपुर

मारपीट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

प्रतिवादीगण द्वारा एक राय होकर दिनांक 09.09.2020 समय 20.30 बजे अजमतगढ़ में अवैध असलहे से लैंस होकर घर में घुसकर मारना पीटना व व हमलावर होने व जान से मारने की धमकी देना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 281/2020 धारा 147/148/149/452/323/504/352/307 भादवि पंजीकृत किया गया।

वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 राजकुमार तिवारी मय हमराह हे0का0 राजू , का0 मनोज कुमार के द्वारा मु0अ0सं0 281/2020 धारा 147/148/149/452/323/504/352/307 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त झबलू यादव उर्फ राजेश यादव पुत्र जुहुन यादव निवासी मसोना थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक 17.11.2020 समय 08.45 बजे अभियुक्त के घर से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 281/2020 धारा 147/148/149/452/323/504/352/307 IPC थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

झबलू यादव उर्फ राजेश यादव पुत्र जुहुन यादव निवासी मसोना थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राजकुमार तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 राजू थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 मनोज कुमार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

थाना- महाराजगंज

03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे के नेतृत्व में आज दिनांक 17.11.2020 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद मय हमराहीगण के साथ थाना हाजा से रवाना होकर विनावर देखभाल क्षेत्र , तलाश वांछित/वारंटी तथा पेंडिंग विवेचना में मामूर थे कि

जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि मु0अ0सं0- 242/20 धारा 147,188 , 269, 270,290, 342 IPC व ध्वनि प्रदूषण (वि0 व नि0) नियम की धारा 5 व 7 CLA Act

से सम्बन्धित आरोपी सूरज सोनकर पुत्र स्व0 प्रकाश सोनकर निवासी राजेपुर थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर, बंजरंग चौक कस्बा महाराजगंज के पास मौजूद हैं, कहीं जाने की फिराक में खड़ा है , उ0नि0 मय हमराही कर्मचारी गण व मुखबिर खास के साथ बउम्मीद गिरफ्तारी छिपते छिपाते बंजरंग चौक के पास आये जहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया । मुखबिर खास इशारा करके हट बढ़ गया। पुलिस टीम ने खड़े हुए व्यक्ति को एकबारगी घेर कर पकड़ लिया । पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम सूरज सोनकर पुत्र स्व0 प्रकाश सोनकर निवासी राजेपुर थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर बताया तथा अभियुक्तगण 1. निखिल चतुर्वेदी पुत्र अनिल सा0 उसुरकुढ़वा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ 2. तेजप्रताप उर्फ तेजई यादव पुत्र इन्द्रजीत सा0 उसुरकुढ़वा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी मौके पर (उसुरकुढ़वा) उ0नि0 सुबोध कुमार मय हमराही द्वारा किया गया । पकड़े गये आरोपी मुकदमा उपरोक्त के प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त हैं । कारण गिरफ्तारी से अवगत कराकर समय करीब 9.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 242/20 धारा 147,188, 269, 270,290, 342 IPC व ध्वनि प्रदूषण (वि0 व नि0) नियम की धारा 5 व 7 CLA Act

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.सूरज सोनकर पुत्र स्व0 प्रकाश सोनकर निवासी राजेपुर थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर
2. निखिल चतुर्वेदी पुत्र अनिल सा0 उसुरकुढ़वा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
3. तेजप्रताप उर्फ तेजई यादव पुत्र इन्द्रजीत सा0 उसुरकुढ़वा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-SHO गजानन्द चौबे के नेतृत्व में उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद, उ0नि0 सुबोध कुमार मय हमराही